

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या-51/2018/3237/सत्ताईस-1-2018-40/2017

लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2018

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

एतद्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० सिविल संवर्ग के निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ताओं को उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 27.04.2018 से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (वेतनमान रू० 37,400-67,000 ग्रेड पे रू० 8900, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से वास्तविक पदोन्नति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)
1	अनिल कुमार
2	महेन्द्र कुमार निगम

2- उक्त अभियन्ताओं की तैनाती तथा नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं०-13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28.05.1997 के अनुसार वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

टी० वेंकटेश

प्रमुख सचिव।

संख्या: 51/2018/3237 (1)/सत्ताईस-1-2018- तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, उ०प्र०, लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
9. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ०पी० सिंह)

अनु सचिव।

मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधि०-1/3)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग उ०प्र०
लखनऊ

(PTO)